न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री सांलुखे गौरव रविन्द्र, आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमती लक्ष्मी पत्नी धरमा भील, हाल निवासी मुदरला जरिये पावंर ऑफ एर्टनी होल्डर देवाराम पुत्र जोगा भील, निवासी मुदरला व अन्य – 3		चमना गोदीपुत्र हीमा, कुदरती पिता भगा भील, निवासी मुदरला व अन्य – 28

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 08/2021

दिनांक 12 .12.2024

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि मौजा गांव मुदरला में प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी स्वामित्व कब्जे काश्त की निम्न खसरा नंबर की कृषिभूमि स्थित है।

(अ)	खसरा नं.	विघा		बिस्वा
	127	04	–	10
	128	08	–	03
	129	00	–	03
	130	01	–	10
	131	15	–	07
	132	03	–	16
	133	03	–	05
	135	02	–	03
	136	03	–	12
	137	05	–	06
	10	47	–	18

उपरोक्त खसरा नंबर एवं रकबा सेटलमेंन्ट के बाद निम्न अनुसार दर्ज हुआ

(ब)	खसरा नं.	विघा		बिस्वा
	436	02	–	18
	437	05	–	04
	439	00	–	19
	440	09	–	18
	441	02	–	08
	442	02	–	01
	451	01	–	08
	452	02	–	06
	453	03	–	08
	09	30	–	10

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.12.20 16:49:58 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमि [illegible] पू[illegible]नोपा के निम्न वारिसान है :–

(1) [illegible] (फोत)

हीमा (फोत) वना (फोत) रतना (फोत) भगा (फोत) [illegible] (फोत) प्रेमा (फोत)

हीमा (फोत) → चमना (गोदीपुत्र) (कुदरती पिता भगा)

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

(2) वना पुत्र नोपा (फोत)

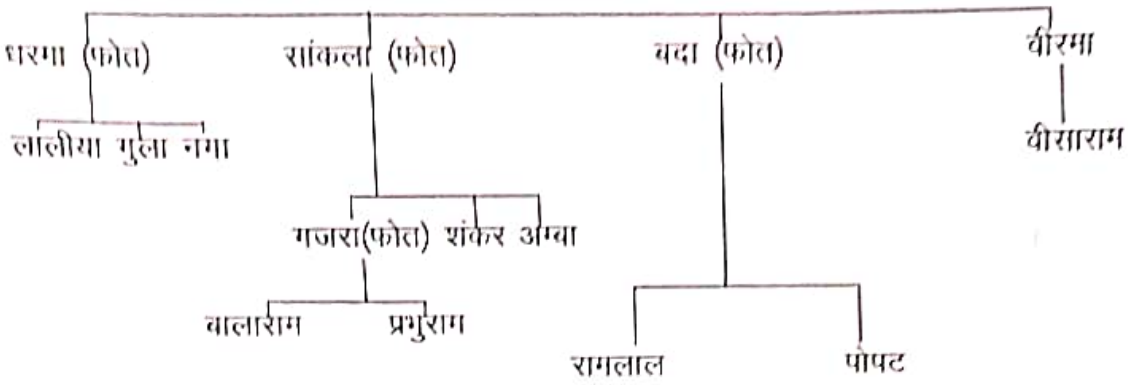

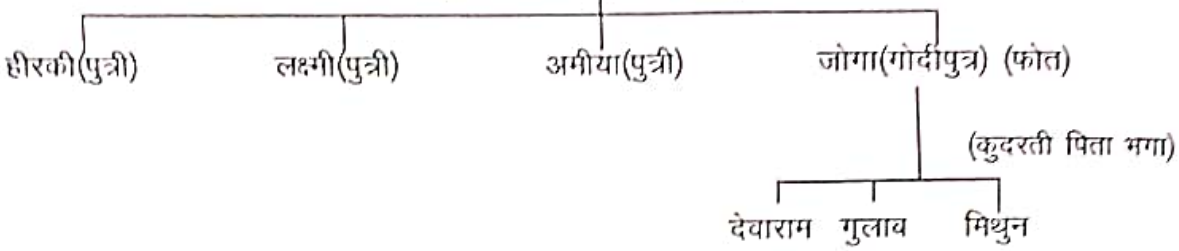

- धरमा (फोत)
  - लालीया
  - गुला
  - नगा
- सांकला (फोत)
  - गजरा(फोत)
    - बालाराम
    - प्रभुराम
  - शंकर
  - अम्बा
- वदा (फोत)
  - रामलाल
  - पोपट
- वीरमा
  - वीराराम

(3) रतना पुत्र नोपा (फोत)

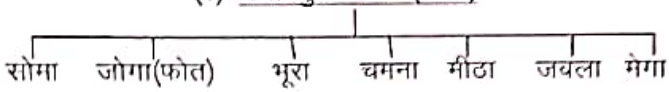

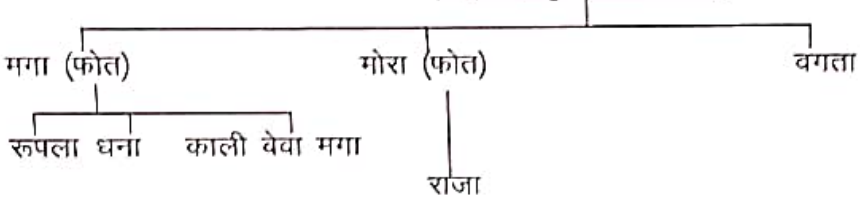

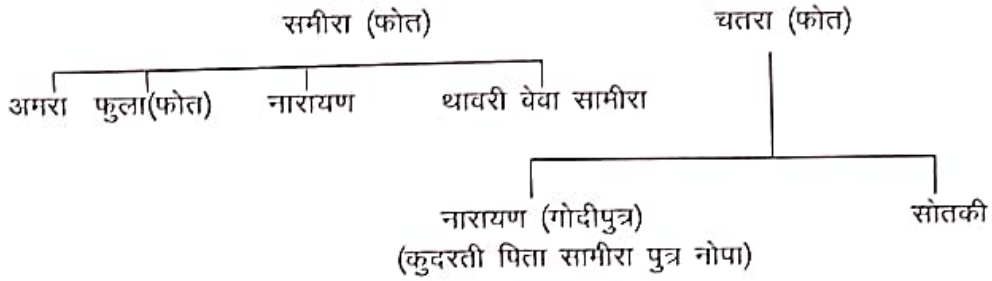

- हीरकी(पुत्री)
- लक्ष्मी(पुत्री)
- अमीया(पुत्री)
- जोगा(गोदीपुत्र) (फोत) (कुदरती पिता भगा)
  - देवाराम
  - गुलाब
  - मिथुन

(4) भगा पुत्र नोपा (फोत)

- सोमा
- जोगा(फोत)
- भूरा
- चमना
- मीठा
- जबला
- मेगा

(5) माला पुत्र नोपा (फोत)

- मगा (फोत)
  - रूपला
  - धना
  - काली
  - वेबा
  - मगा
- गोरा (फोत)
  - राजा
- बगता

(6) प्रेमा पुत्र नोपा (फोत)

- समीरा (फोत)
  - अमरा
  - फुला(फोत)
  - नारायण
  - थावरी
  - वेबा
  - सामीरा
- चतरा (फोत)
  - नारायण (गोदीपुत्र) (कुदरती पिता सामीरा पुत्र नोपा)
  - सोतकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.12.20 16:49:58 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त वंशावली में दर्शित तमाम वारिसदार पूर्वज नोपा [illegible] दार है। उपरोक्त पद में दर्शित खरारा नम्बरान की तमाम कृषि भूमि कुल [illegible] पूर्वज नोपा के उपरोक्त प्रथम वंशावली अनुसार पूर्वज नोपा के छः पुत्रों [illegible] समान बराबर 1/6 हिस्सा अनुसार प्रत्येक पुत्र को करीब 05 विघा 01 विस्वा के [illegible] कार्यवाही में राजस्व कर्मचारीगण द्वार नये राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज के समय पूर्वज [illegible] के वारिसदारों छः पुत्रो के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करते समय प्रार्थीगण के पिता व दादा रतना का नाम राजस्व कर्मचारीगण द्वारा भूल या चुकवश बिना किसी विधिक कारण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज करना रहा गया था। यह

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

कि प्रार्थी सं. 4 के पिता जोगा ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने बावत् वाद पेश किया था, जोगा दिनांक 23.5.2013, 19.9.2013 व 8.10.2013 को न्यायालय में वास्ते साक्ष्य देने हेतु उपस्थित भी हुआ था लेकिन प्रति परीक्षा हेतु आगामी तारीख 29.10.2013 तय की गई थी। यह कि जोगा के वादपत्र की आदेशिका दिनांक 11.6.2015 वास्ते जोगा की साक्ष्य में विचाराधीन थी इसी दरमीयान दिनांक 05.6.2015 को राज्य सरकार द्वारा लगाये गये प्रशासन गांवो के संग शिविर के केम्प कोर्ट में जोगा व प्रार्थीया सं. 1 से 3 को शिविर के केम्प कोर्ट में हाजिर होने की सूचना मिलने पर प्रार्थी सं. 4 अपने बिमार पिता जोगा को लेकर शिविर के केम्प कोर्ट में गया उसके साथ प्रार्थीया सं. 1 से 3 भी शिविर के केम्प कोर्ट में हाजिर होने गयी थी पटवारी महोदय ने शिविर के केम्प कोर्ट के परिसर में प्रार्थी सं. 4 व प्रार्थीया सं. 1 से 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा आज आप लोग हाजर हो इस बावत् के दस्तख्त कर दो इस पर जोगा व प्रार्थीया सं. 1 से 3 ने हस्ताक्षर कर दिये। यह कि प्रार्थीया सं. 1 से 3 की सहमति से अपने हिस्से की कृषि भूमि पर प्रार्थी सं. 4 को काश्त करने की अनुमति के अनुसार प्रार्थी सं. 4 के कब्जे काश्त की कृषि भूमि होने से प्रार्थीया सं. 1 से 3 ने प्रार्थी सं. 4 से सम्पर्क कर उसके कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर ऋण लेने बावत् कार्यवाही करने पर कहने पर प्रार्थी सं. 4 ने वर्तमान पटवारी महोदय से संपर्क किया और अपने पिता जोगा व प्रार्थीया सं. 1 से 3 के नाम की जमाबंदी देने का कहने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीया सं. 1 से 3 व उनका भाई जोगा का नाम कृषि भूमि पर दर्ज नही हुआ जोगा के पूर्व में पेश वादपत्र व आदेशिकाऐं की प्रतियां प्राप्त कर देखने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण सं. 1 से 3 व उनका भाई जोगा के साथ केम्प कोर्ट मे पटवारी महोदय ने छल पूर्वक झूठ बोलकर न्यायालय की आदेशिका में हस्ताक्षर करवायें है। पटवारी महोदय ने छल पूर्वक झूठ बोलकर जोगा व वादीया सं. 1 से 3 के हस्ताक्षर करवा कर छल व धोखे से वादपत्र को कैम्प कोर्ट में निस्तारित करवा लिया गया जो प्रार्थीगण सं. 1 से 3 को बाध्यकर नही है। यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 से 26 द्वारा प्रार्थीगण को बताया गया कि उनके द्वारा कुछ कृषि भूमि का बेचान कर दिया गया है। यह कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 1 से 26 हड़पने के दुराशय से प्रार्थीगण को कृषि भूमि से चले जाने की धमकी दी जा रही है। तथा प्रार्थीगण को धमकी दी जा रही है कि प्रार्थीगण कृषि भूमि से कब्जा काश्त हटा लेवे क्योंकि कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नही है एवं उक्त कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 1 से 26 विक्रय करना चाहते है। यह कि प्रार्थी सं. 4 ने अप्रार्थीगण सं. 1 से 26 को काफी समझाया कि अप्रार्थीगण सं. 1 से 26 के पूर्वज नोपा के प्रार्थीगण विधिक वारिसदार है और उनका भी उक्त कृषि भूमि में 1/6 हक हिस्सा है जितना कि अप्रार्थी सं. 1 से 26 का है। अप्रार्थीगण सं.1 से 26 ने प्रार्थी सं. 4 के निवेदन को इनकार कर कृषि भूमि पर से प्रार्थीगण को तुरन्त हट जाने को कहा अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। यह कि प्रार्थीगण सं. 1 से 3 के स्व. पिता रतना एवं प्रार्थीगण सं. 4 से 6 के दादा की पुश्तैनी कृषि भूमि में 1/6 हक हिस्से की 05 बिघा 01 बिस्वा कृषि भूमि में वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 से 26 द्वारा अवैध रूप से बाधा डालने तथा अप्रार्थी सं. 1 से 26 द्वारा अवैध रूप से बेदखल करने पर आमादा होने तथा अप्रार्थी सं. 1 से 26 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि को विक्रय, रहन व अन्य किसी रिती से कृषि भूमि की किस्म परिवर्तन न करने तथा न ही हस्तांन्तरण करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

हमने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र में अंकित पुराने खसरा नंबरो व नये खसरा नंबरों के अतिरिक्त स्व. नोपाजी के कब्जे, आधिपत्य, स्वामित्व व खातेदारी की अन्य भूमि भी है और नोपाजी के केवल [illegible] नही बल्कि कुल सात पुत्र है। कि नोपाजी के हक हिस्से की प्रार्थना पत्र पद संख्या 01 [illegible] भू[illegible] के अलावा अन्य भूमि मुदरला में ही स्थित रही है जिसमें से एक भूमि नोपाजी के बड़े पुत्र धीरा [illegible] एवं एक भूमि रतना को अलग से देकर प्रार्थना पत्र पद संख्या 01 में [illegible] नोपाजी के जीवनकाल में ही निकाल दिया गया था और उसी कारण [illegible] 01 वर्णित भूमि में धीरा व रतना का व उनके वारिसान का नाम बतौर खातेदार दर्ज नही है और [illegible] ही प्रार्थना पत्र पद संख्या 01 वर्णित भूमि में इनका कब्जा काश्त रहा है। कि धीरा व रतना के हिस्से में प्रार्थना पत्र पद संख्या 01 वर्णित भूमि से अलग खसरा नम्बरान की भूमि आई हुई है जिसमें उनका नाम बतौर खातेदार दर्ज चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.12.20 16:49:58 IST
Reason: SelfAttested

आया है और उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान ने उस भूमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार की हैसियत से किया है और कर रहे है। कि प्रार्थीया संख्या 01 से 03 व जोगा के वारीसान को प्रारम्भ से पता है कि वादवर्णित भूमि का कुछ भाग बेचान नही हुआ है बल्कि लगभग संपूर्ण भूमि का बेचान हो चुका है और भूमि की किस्म भी परिवर्तित हो चुकी है और मौके पर संपरिवर्तित भूमि के खरीददारों द्वारा निर्माण भी हो चुका है फिर भी प्रार्थीगण ने जानबुझकर उपरोक्त तथ्यों को छुपाकर न्यायालय को गुमराह करने के लिए जानबुझकर उन बाकी के नये खातेदारों व खरीददारों को पक्षकार बनाये बिना यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि ये लोग इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है अतः आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण मेंन्टनेबल नही होने से खारिज योग्य है। कि उक्त वाद वर्णित विवादित भूमि के संबंध में एक वाद संख्या 45/2010 अनवान जोगाराम पुत्र रतनाजी भील निवासी मुदरला बनाम श्री चमना पुत्र हीमा भील व अन्य प्रस्तुत हुआ था जो वाद वादी संख्या 04 देवाराम व प्रतिवादी संख्या 27 गुलाब व प्रतिवादी संख्या 28 मिथुन के पिता जोगा ने स्वयं को रतना पुत्र नोपा का गोदीपुत्र बताकर पेश किया था और उस वाद के विचाराधीन रहते वादी संख्या 01 से 03 लक्ष्मी, हिरकी व अमीया भी उस वाद में खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु न्यायालय में आवेदन देकर पक्षकार के रूप में संयोजित हुई थी किन्तु ऊपर बतायेनुसार उस वाद में अपनी हार को देखते हुय इन लोगो ने उस वाद को दिनांक 05-06-2015 को लोक अदालत में जरिये विड्रो खारिज करवा दिया था जिस कारण अब वादीगण का उक्त वाद धारा 11 सी.पी.सी. से एवं भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होने से मेन्टनेबल नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है। स्टेट का जवाब प्राप्त। पटवारी हल्का आमथला की मौका फर्द रिपोर्ट में अंकन है कि ग्राम मुदरला में खसरा नंबर 436, 437, 439, 440, 441, 453/2 खातेदार अमरा पुत्र सोमीरा वगैरह शामलाती खाता दर्ज रेकर्ड होकर यही खातेदार काबिज है व ग्राम मुदरला में खसरा नंबर 442, 451, 452, 453/1 हरीश राणा पुत्र बाबुलाल जाति भील के नाम दर्ज रेकर्ड है व हरीश राणा पुत्र बाबुलाल का ही कब्जा है।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार प्रश्नगत आराजी ग्राम मुदरला में खसरा नंबर 436, 437, 439, 440, 441, 442, 451, 452, 453 स्थित है।

हमारे सामने 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते आवश्यक है:-

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :- प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड के अनुसार उनका हक स्पष्ट नही हो रहा है न ही प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। पुराने कब्जे को साबित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही हो रहा है।

2. सुविधा का संतुलन :- ग्राम मुदरला में खसरा नंबर 436, 437, 439, 440, 441, 442, 451, 452, 453 में प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार नही है। अतः रेकर्ड के आधार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने मे असफल रहें।

3. अपूर्तनीय क्षति :- चूंकि वर्तमान में उक्त विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार नही है। अतः प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थीगण से हो यह साबित में प्रार्थीगण असफल रहें है।

अतः प्रार्थीगण 212 राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] व्यादेश हेतु तीन शर्ते अपने हक में साबित करने में असफल रहने से साथ ही प्रार्थीगण [illegible] स्वयं की रिकॉर्डेड खातेदारी न होकर अस्थाई निषेधाज्ञा लाना चाहता है जो न्यायोचित [illegible] है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] नहीं होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.12.20 16:49:58 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]कलक्टर
[illegible] (सिरोही)

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते अपने हक में साबित करने में असफल रहने से साथ ही प्रार्थीगण उक्त भूमि पर स्वयं की रिकॉर्डेड खातेदारी न होकर अस्थाई निषेधाज्ञा लाना चाहता है जो न्यायोचित नही है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सांलुखे गौरव रविन्द्र) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत
आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.12.20 16:49:58 IST
Reason: SelfAttested